



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक-5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2709114

email : cmsmsa2018@gmail.com

फैक्स: 0141-2701822

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/बाल सभा/2019-20/ 9297

दिनांक : 15/01/2020

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
3. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारम्भिक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त-जिले
6. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
7. सहायक परियोजना समन्वयक-प्रथम, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
8. प्राचार्य, डाईट, समस्त-जिले
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
10. समस्त पीईईओ

विषय- दिनांक 26 जनवरी, 2020 को आयोज्य सामुदायिक बालसभा के सम्बन्ध में दिनांक 21.01.2020 को 10.00 बजे से 12.30 बजे तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के आयोजन बाबत ।

राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि तथा ठहराव सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयी गतिविधियों में जनसमुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बालसभा/बाल उत्सव के दौरान दिनांक 09 मई, 2019 एवं 02.07.2019 को आयोजित सामुदायिक बालसभा की भाँति दिनांक 26.01.2020 को विद्यालय परिसर पर विशेष बाल सभाओं का आयोजन किया जाना है।

सामुदायिक बालसभा के प्रभावी आयोजन हेतु पूर्व तैयारियों के सम्बन्ध में चर्चा हेतु दिनांक 21.01.2020 को 10.00 बजे से 12.30 बजे तक वीडियो कान्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसमें आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है।

उल्लेखनीय है कि समस्त जिला स्तरीय अधिकारी सम्बन्धित जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में अवस्थित डीओआईटी के वीडियो कान्फ्रेंस कक्ष में तथा समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सम्बन्धित पंचायत समितियों में अवस्थित डीओआईटी के राजीव गान्धी सेवा केन्द्र में पूर्ण सूचना व तैयारी के साथ अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

(प्रदीप कुमार बोरड)

आयुक्त

स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद्,
जयपुर

दिनांक : 15/01/2020

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/बाल सभा/2019-20/ 9298

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सहायक, अति० राज्य परियोजना निदेशक- I & II, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. उपायुक्त समस्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. प्रोग्रामर स्कूल शिक्षा परिषद् को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिनांक को वीडियो कान्फ्रेंस का सफल आयोजन कराये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था कराया जाना सुनिश्चित करावें।
7. प्रभारी अधिकारी, पूल स्कूल शिक्षा परिषद् को उक्त तिथि में 25 व्यक्तियों हेतु एक बार चाय नाश्ते की व्यवस्था कराने का श्रम करावें।
8. रक्षित पत्रावली।

(नसीम खान)

उपायुक्त (सामु० गतिशीलता)

www.rajsevak.com